

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 138/2023-24

दिनांक : 27.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मंगत राम पुत्र श्री टाला राम,
ग्राम सीतापुर, तहसील गदरपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-2

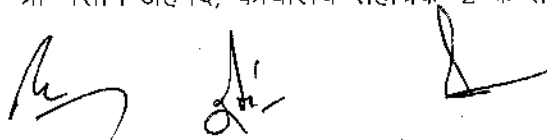
विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री मंगत राम पुत्र श्री टाला राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-RU7C103015223 (05 किलोवाट घरेलू) का वर्ष 2022 में विद्युत लोड बढ़ाने हेतु आवेदन किया गया था जिसके उपरांत विभाग द्वारा दिनांक 29.06.2022 को उक्त विद्युत संयोजन का लोड बढ़ाते हुए, विभाग द्वारा पुराना सिंगल फेज विद्युत मीटर ऊतारकर नया श्री-फेज विद्युत मीटर लगा दिया गया जिसका मीटर नं० 22268872 है। इसके बाद से ही विभाग द्वारा आर०डी०एफ० के बिल जारी किए जा रहे हैं जबकि दिनांक 08.08.2023 में उनके विद्युत मीटर का पाठयांक 3301 केडब्लूएच है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर आर०डी०एफ० के विद्युत बिल (रु० 21625.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रूद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 19.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 04.09.2023 व 27.09.2023 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री नसीम अहमद, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गए।

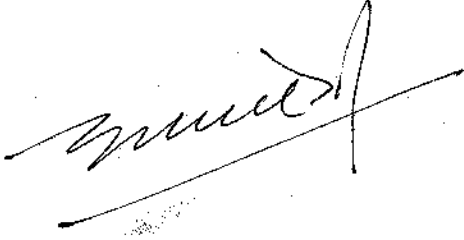
क्रमशः 2.....



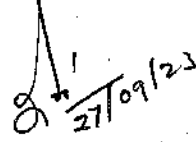
विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या-1772 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत मापक जून 2022 में बदला गया था जिसकी वर्तमान रीडिंग 4552 दर्ज है। परिवादी का विद्युत बिल नये मापक की रीडिंग के आधार पर संशोधित कर रु0 18343.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

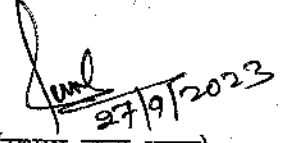
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य